भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3144
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

विधि आयोग की सिफ़ारिशें

3144. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति पी.वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में कंपनियों द्वारा कोई विधिक मुकदमा लड़ने हेतु न्यायालय शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए सरकार को कोई सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों के लिए न्यायालय शुल्क के संबंध में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कोई कार्रवाई करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत के विधि आयोग ने उच्चतम न्यायालय में न्यायालय फीस और कारपोरेट विधान पर अपनी 236वीं रिपोर्ट (2010) में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिफारिशों की है:

''अत: आयोग का यह मत है कि समय के काफी अंतराल और आज कल की आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायलय में फाइल की जाने वाली अपीलों (सिविल) की बाबत लागू न्यायालय फीस के वर्तमान नियमों पर पुन:विचार करने की काफी वाछनीयता है । जहां 20,000/- रु. से अधिक पर आधा प्रतिशत बना रह सकता (या इसे एक प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है), वहीं अधिकतम न्यायालय फीस को कम से कम 1 लाख रूपए तक बढ़ाना यूक्तिसंगत होगा। अर्थात् उच्चतम न्यायालय नियम के भाग 2 के क्रम सं. 2 के परंतुक के खंड (1) में आने वाले 2000/- रु. अंकों के स्थान पर 1 लाख रुपए (या अधिक) रखे जाने की आवश्यकता है। यह मुख्यत: हमारा सुझाव है और हम यह कहना चाहते हैं कि आयोग ने ठीक-ठीक मात्रा अवधारित करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट परीक्षण नहीं किया है क्योंकि आयोग यह महसूस करता है कि उच्चतम न्यायालय समिति उन ब्यौरों पर समुचित रूप से विचार करेगी । इसके अतिरिक्त 250/- रु. की फीस जो न्यूनतम संदेय है और साथ मूल्यांकन न करने योग्य अपीलों में विनिर्दिष्ट 250/-रु. की फीस को उपयुक्त रूप से बढाया जाना चाहिए विशेष इजा़जत याचिकाओं के लिए फीस बढ़ाने का भी पूरा औचित्य है जो इस समय 250/- रु. की छोटी रकम है । विशुद्ध परिणाम यह होगा कि कर/फीस मांगों के प्रति कारपोरेट और अन्य कारबार सत्तओं और अन्य राजकोषीय दायित्वों और मध्यस्थम पंचाटों द्वारा फाइल की गई अधिकांश अपीलें वर्धित न्यायालय फीस की परीधि के भीतर आएंगी । इसके साथ-साथ ऐसी अपीलों की बाबत जो सिविल मामलों में उच्च न्यायलय के निर्णयों से

उद्भूत होती हैं, जहां न्यायालय फीस विचारण् प्रक्रम और अपीली प्रक्रम दोनों पर मूल्यनुसार आधार पर पहले से ही संदत्त फीस गई होती है (यथावर्धित) केवल नियत न्यायालय फीस प्रभारित करना विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत होगा । हम यह भी उल्लेख करते हैं कि व्यक्तिगत कठिनाई की दशा में संबंद्ध अपीलार्थी सदैव न्यायालय फीस की छूट के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

आयोग समग्र पहलुओं पर विचार करते हुए मूल्यानुसार फीस और साथ ही नियत न्यायालय फीस के संबंध में उच्चतम न्यायालय नियमों में विहित अधिकतम सीमा की वृद्धि के लिए अपने व्यापक सुझाव लेखबद्ध किए हैं। काफी समय अंतराल और भारी पण के ऐसे मामले, जो वित्तीय और अन्य विशेष अधिनियमितियों के अधीन उद्भूत होने वाले उच्चतम न्यायालय के समक्ष आते हैं, को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान न्यायालय फीस के उपयुक्त उर्ध्वा पुनरिक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह करना उचित और समीचीन होगा । उच्चतम न्यायालय, संभवत: न्यायाधीशों की एक समिती गठित कर सकेगा और यदि आवश्यक हो, उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संगम से परामर्श कर सकेगा। क्योंकि न्यायालय फीस के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा विरचित नियम अर्ध शताबदी से अधिक समय से प्रवृत्त है, इसलिए, प्रथमत: न्यायलय फीस को बढ़ाने का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय पर छोड़ना उचित होगा। यह वांछनीय और उचित है कि संसद् स्वयं विधान के माध्यम से उच्चतम न्यायालय नियम का अतिक्रमण करने और फीस मापमान विहित करने के लिए सीधी कार्रवाई न करे। आयोग की यह राय है कि संसदीय स्थाई समिति और विधि आयोग के अनंतिम मतों को उपदर्शित करते हुए तीसरे अनुसूची के भाग 2 और ऐसी अन्य मदों की बाबत अधिकतम और साथ ही नियत न्यायालय फीस जैसा न्यायलय उचित समझे, के उर्ध्वा पुनरीक्षण का सुझाव देते हुए, उच्चतम न्यायालय से आग्रह करना उचित होगा

(ख) और (घ) : आयोग की रिपोर्ट मार्च, 2011 में उच्चतम न्यायालय को भेजी गई थी, जिसने 6 फरवरी, 2023 को हुई पूर्ण न्यायालय बैठक में उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का अनुमोनदन करने का विनिश्चय किया । तद्रसार, उच्चतम नयायालय नियम 2013 भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन तारीख् 27.05.2014 को अधिसूचित किए गए थे, जिनके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, तीसरी अनुसूची (न्यायालय फीस की सारणी) के भाग 2 का पुनरीक्षण भी है।

****